राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 11553/2017**

| **अपीलार्थी** | **बनाम** | **प्रत्यर्थी** |
|---|---|---|
| जीवाराम<br>156, मोडी भाखरी, खरडा बान्डाई,<br>पोस्ट चोटिला, तहसील रोहिट<br>पाली , राजस्थान | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं<br>मुख्य सचिव<br>शासन सचिवालय जयपुर |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 07-03-2018**

1. अपीलार्थी की ओर से श्री दीपक, प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री भूपेन्द्र कुमार गम्भीर, एस.ओ. उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 24-8-16 मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित कर उनके पूर्व प्रेषित पंजीकृत पत्र दिनांक 11-8-16, जो कि सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बारे में था, पर की गई कार्यवाही के बारे में कतिपय सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है अतः सूचना दिलवाई जावे। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का सूचना का आवेदन मुख्य सचिव कार्यालय को प्रेषित किया गया था जो प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को प्राप्त हुआ, के संबंध में विभागीय अ. शा. टीप दिनांक 2-9-16 के द्वारा प्रकरण राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन सचिव, खान विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रथम अपील भी प्रमुख शासन सचिव को प्रस्तुत की गई थी जिसे भी दिनांक 13-10-16 को निर्णित किया गया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 5-12-17 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में की गई कार्यवाही से संसूचित कर दिया

गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी से अन्य किसी सूचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सूचना वही दी जा सकती है जो कि प्रत्यर्थी के नियंत्रणाधीन हो एवं अभिलेख पर उपलब्ध हो। प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधि संगत है जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

7. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

9. निर्णय घोषित।

**(सुरेश चौधरी)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**